भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1542
12 दिसंबर, 2023 को उत्तरार्थ

विषयः किसानों की फसलों का नुकसान

1542. श्री ओम पवन राजेनिंबालकरः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्राकृतिक आपदा के कारण फसल के नुकसान से पीड़ित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में लाभार्थियों की जिला-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए विसंगतियों को दूर करने के लिए क्या उचित कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान पीएमएफबीवाई के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी निधि आवंटित/वितरित की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा)

(क): देश में खरीफ 2016 से शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) विशेष रूप से प्राकृतिक आपदा प्रभावित मौसमों/वर्षों/क्षेत्रों में किसानों की आय को स्थिर करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। किसानों के लिए फसलों के बोआई-पूर्व से लेकर फसलोपरान्त चरणों तक सभी गैर-निवार्य प्राकृतिक जोखिमों से बचाने के लिए किसानों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों एवं क्षेत्रों के लिए बहुत ही कम प्रीमियम पर विस्तृत जोखिम कवरेज दी जाती है। दिनांक 30.11.2023 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, योजना की शुरुआत से वर्ष 2022-23 तक, किसानों के 29,237 करोड़ रुपये प्रीमियम के सापेक्ष उन्हें 1,51,926 करोड़ रूपये के दावे का भुगतान किया जा चुका है।

(ख): पीएमएफबीवाई के अंतर्गत महाराष्ट्र में पिछले पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान नामांकित किसान लाभार्थियों की संख्या का जिले-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जैसे (क) बोली प्रक्रिया के माध्यम से बीमा कंपनी के चयन के लिए कार्यकाल को 3 साल तक बढ़ाना; (ख) तीन मॉडल (लाभ और नुकसान शेयरिंग, कप एंड कैप (60-130), कप एंड कैप (80-110) की शुरूआत जिसके तहत यदि कोई दावा नहीं किया जाता है तो राज्य द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम का एक हिस्सा राज्य के राजकोष में चला जाएगा (ग) उन्नत प्रौद्योगिकी का समावेश - राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी), प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान प्रणाली (यस-टेक), मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम (विंड्स), वास्तविक समय अवलोकन और फसलों की तस्वीरों का संग्रह (क्रोपिक), एनसीआईपी के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का उपयोग करके किसानों के खाते में सीधे दावों का निस्तारण करने के लिए एनसीआईपी पर डिजीक्लेम मॉड्यूल; (घ) किसानों की समस्याओं का समाधान और योजना के क्रियान्वयन में सुधार करने के लिए, आईईसी की गतिविधियों को बढ़ाना।

प्राप्त अनुभव, विभिन्न हितधारकों के विचारों के आधार पर और बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और योजना को किसान के और अधिक हितैषी बनाने की दृष्टि से, सरकार ने समय-समय पर पीएमएफबीवाई के परिचालन दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया है ताकि योजना के तहत पात्र लाभ किसानों तक समय पर और पारदर्शिता से पहुंचे।

(घ): पीएमबीएफवाई केंद्रीय क्षेत्र योजना है; इसलिए, योजना के तहत कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार आवंटन और निर्मुक्ति नहीं की जाती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्र सरकार के व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वास्तविक व्यय
2018-19	11945.38
2019-20	12638.32
2020-21	13,902.79
2021-22	13,549.70
2022-23	10,807.31

अनुबंध

पीएमएफबीवाई के तहत महाराष्ट्र में वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान किसान लाभार्थियों की संख्या का जिला-वार विवरण

क्र.सं.	जिला	लाभार्थी किसानों की कुल संख्या (लाख में)				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	ठाणे	0.15	0.15	0.36	0.49	0.44
2	पालघर	0.19	0.22	0.34	0.25	0.20
3	रायगढ़	0.19	0.03	0.09	0.11	0.08
4	रत्नागिरी	0.02	0.01	0.01	0.04	0.03
5	सिंधुदुर्ग	0.01	0.01	0.04	0.09	0.11
6	नासिक	0.35	2.07	2.73	1.48	1.70
7	धुले	0.39	0.82	0.63	0.55	0.68
8	नंदुरबार	0.11	0.17	0.11	0.13	0.11
9	जलगाव	0.65	1.06	1.67	1.54	2.01
10	अहमदनगर	7.63	7.38	5.64	3.21	2.40
11	पुणे	0.60	0.36	0.30	0.17	0.11
12	सोलापुर	5.63	5.30	2.94	2.58	2.08
13	सतारा	1.40	0.75	0.39	0.15	0.05
14	सांगली	1.66	1.68	0.95	0.36	0.27
15	कोल्हापुर	0.00	0.01	0.03	0.06	0.06
16	औरंगाबाद	8.04	12.21	8.45	5.91	7.67
17	जालना	15.23	15.09	9.20	6.35	8.29
18	बीड	23.53	20.95	21.47	15.45	17.62
19	लातूर	17.01	11.02	12.05	11.22	9.60
20	उस्मानाबाद	18.17	14.94	10.29	8.12	7.21
21	नांदेड़	13.78	13.36	10.43	9.88	12.25
22	परभणी	9.74	9.61	7.55	7.48	7.14
23	हिंगोली	3.37	3.52	3.14	3.98	4.07
24	बुलढाणा	3.65	2.60	3.11	2.56	3.72
25	अकोला	2.57	2.00	1.94	1.90	2.28
26	वाशिम	2.21	2.78	2.74	3.01	3.38
27	अमरावती	1.55	2.94	2.79	2.60	2.88
28	यवतमाल	4.19	5.28	4.90	3.76	4.54
29	वर्धा	0.40	0.36	0.28	0.17	0.29
30	नागपुर	0.52	0.54	0.30	0.21	0.31
31	भंडारा	0.66	1.63	1.85	1.51	1.35
32	गोंदिया	0.42	0.71	0.57	0.16	0.17
33	चंद्रपुर	0.51	0.89	0.98	0.59	0.69
34	गढ़चिरौली	0.23	0.36	0.37	0.31	0.26
योग		**144.72**	**140.82**	**118.66**	**96.38**	**104.07**

****